Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 ◘ अंक- 192 ◘ रायपुर, मंगलवार 5 अगस्त 2025 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

मिड-डे मील में बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना परोसने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

बिलासपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक स्थित लच्छनपुर मिडिल स्कूल में मिड-डे मील के तहत बच्चों को कुत्ते द्वारा जूठा किया गया भोजन परोसने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने इस घटना को 'गंभीर लापरवाही' करार देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 19 अगस्त 2025 तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

यह मामला 3 अगस्त को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 जुलाई 2025 को लच्छनपुर के सरकारी स्कूल में 83 बच्चों को वह खाना परोसा गया जिसे एक आवारा कुत्ता पहले ही जूठा कर चुका था। जब यह बात छात्रों ने घर जाकर अभिभावकों को बताई, तो ग्राम स्तरीय स्कूल समिति की बैठक हुई। इसके बाद दबाव में आकर 83 बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन की दो डोज दी गई। हालांकि विभिन्न मीडिया स्रोतों के अनुसार, कुल 84 बच्चों ने भोजन किया था, जिनमें से 78 या 83 को वैक्सीन दी गई, आंकड़ों में मामूली अंतर बना हुआ है।

19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने यह भी माना कि इस तरह की घटनाएं राज्य सरकार की योजनाओं की साख पर सीधा प्रहार करती हैं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हैं। न्यायालय ने शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल कर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 'छात्रों को परोसा जाने वाला भोजन कोई औपचारिकता नहीं है, यह गरिमा के साथ होना चाहिए। कुत्ते द्वारा जूठा भोजन परोसना न सिर्फ घोर लापरवाही है, बल्कि यह बच्चों की जान को सीधे खतरे में डालना है। एक बार रेबीज हो जाए तो उसका इलाज संभव नहीं होता।' कोर्ट ने इस कृत्य को 'गंभीर प्रशासनिक विफलता' और 'अमानवीय व्यवहार' बताया और राज्य सरकार से निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा है- क्या सभी प्रभावित छात्रों को समय पर वैक्सीन दी गई? जिम्मेदार शिक्षकों और स्व-सहायता समूह पर क्या कार्रवाई हुई? क्या पीड़ित छात्रों को मुआवजा दिया गया? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या पुख्ता उपाय किए गए हैं?

शिक्षकों के अभ्यावेदनों पर कल से सुनवाई

रायपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के तहत कई शासकीय स्कूलों को दूसरे शासकीय स्कूलों में विलय करने के साथ वहां पदस्थ शिक्षकों को भी स्थानांतरित किया गया है. युक्तियुक्तकरण के दौरान शिक्षकों की पदस्थापना की कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसे लेकर कई शिक्षक उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गए, वहीं, राज्य शासन के निर्देश पर संभाग स्तर पर गठित समितियों के पास काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. रायपुर संभाग में करीब 535 अभ्यावेदन आए हैं. संभागायुक्त महादेव कावरे ने सोमवार को बैठक लेकर इसकी समीक्षा की. श्री कावरे ने बताया कि शिक्षकों के अभ्यावेदनों की सुनवाई के लिए जिलेवार तिथि निर्धारित की गई है. समिति द्वारा 6 अगस्त को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से संबंधित अभ्यावेदनों की सुनवाई की जाएगी. इसी तरह 12 अगस्त को धमतरी, 19 अगस्त को महासमुंद, 22 व 23 अगस्त को गरियाबंद तथा 29-30 अगस्त को रायपुर जिले के अभ्यावेदनों की सुनवाई होगी. इस दौरान आवेदकों को भी बुलाया जाएगा. गौरतलब है कि युक्तियुक्तकरण के तहत रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद व बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में काफी संख्या में स्कूलों के विलय के साथ शिक्षकों को भी दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया गया है.

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। दोपहर 1 बजकर 12 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सहयोगी कंवर सिंह राणा ने निधन की पुष्टि की है।

कंवर सिंह राणा ने बताया कि पूर्व राज्यपाल ने दोपहर 1 बजकर 12 बजे दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में अंतिम सांस ली। बागपत के हिसावदा गांव निवासी सत्यपाल मलिक ने मेरठ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 1965 में छात्र राजनीति में प्रवेश किया। 1966-67 में मलिक मेरठ कॉलेज के पहले छात्रसंघ अध्यक्ष चुने गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। 1974 के विधानसभा चुनाव में बीकेडी के टिकट पर बागपत सीट से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1975 में लोकदल के गठन के बाद उन्हें अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त किया गया। 1980 में लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इस बीच उनकी लोकदल के नेताओं से खटपट बढ़ गई, जिसके बाद 1984 में मलिक ने कांग्रेस की सदस्यता ली।

1986 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा भेजे गए और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नियुक्त किए गए थे। 1987 में बोफोर्स घोटाले से दुखी होकर राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और जनमोर्चा में शामिल हो गए। 1988 में जनता दल में शामिल हुए और 1991 तक जनता दल के प्रवक्ता और सचिव रहे। 1989 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से सांसद चुने गए। मलिक 2004 में भाजपा में शामिल हुए और बागपत लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2005-06 में यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष बनाए गए। 2009 में भाजपा किसान मोर्चा के अखिल भारतीय प्रभारी बनाए गए।

अमित शाह ने बनाया नया रिकॉर्ड, 2258 दिनों से हैं गृहमंत्री

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। अमित शाह मंगलवार को भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने वाले मंत्री बन गए हैं। 30 मई, 2019 को पदभार ग्रहण करने के बाद से 2,258 दिनों तक पद पर रहने के साथ, शाह ने अब वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। शाह का कार्यकाल कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद बल्लभ पंत के कार्यकाल से भी आगे निकल गया है, जिससे वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। संयोग से, शाह ने यह उपलब्धि 5 अगस्त को हासिल की, जिस दिन उन्होंने 2019 में संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा की थी, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था।

ब्रेकिंग न्यूज

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 14वीं बार आया जेल से बाहर

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर परोल मिल गई है। इस बार उसे 40 दिन की परोल दी गई है। यह 14वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है। कड़ी सुरक्षा के बीच वह रोहतक से सिरसा डेरा के लिए रवाना हो गया है। गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, वह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। वह अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। यह 14वीं बार है जब राम रहीम को परोल या फरलो मिली है। इससे पहले भी वह कई बार बाहर आ चुका है। हर बार परोल मिलने पर पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। इस बार मिली परोल को भी लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

लाल किला में घुसने का प्रयास कर रहे 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। दिल्ली पुलिस ने लाल किला परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे पाँच अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है। वे दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पुलिस ने उनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज़ बरामद किए हैं। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क है। हमने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। लोगों को केवल उन्हें दिए गए प्राधिकरण स्तर के अनुसार ही कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति है। एक जांच के दौरान, निषाद राज मार्ग पर हमारे कर्मचारियों ने पाँच व्यक्तियों को रोका, जो वैध प्रवेश पास या पहचान पत्र दिखाने में विफल रहे। आगे की जाँच में पता चला कि ये पाँचों लोग बांग्लादेशी थे।

चूहा- सुनती हो, सच्चा भारतीय कौन है यह कौन तय करेगा?

चुहिया- हां जी, अभी तो बहस चल रही है, कुछ दिन बाद पता लगेगा..!

सीआईएसएफ कर्मियों की मौजूदगी पर रार

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। सदन में सीआईएसएफ कर्मियों की मौजूदगी के मुद्दे पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सभापति ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जब खरगे ने उन्हें सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती को लेकर पत्र लिखा था तो उसे मीडिया में क्यों जारी किया गया। सभापति ने इसे सदन के नियमों का उल्लंघन करार दिया। इस पर खरगे ने कहा कि वह सभी को पत्र के बारे में जानकारी नहीं दे सकते थे तो उन्होंने इसे लेकर मीडिया में बयान जारी किया। चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए और नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को उनसे दृष्टांत लेने की जरूरत है।

खरगे बोले- क्या हम आतंकवादी हैं?

नड्डा का जवाब- मुझसे दृष्टांत ले लीजिए

दरअसल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने खरगे के पत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पत्र को मीडिया में जारी करके संसद के जनता को जानकारी देने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद उपसभापति ने कई घटनाओं का जिक्र किया, जब सत्ता पक्ष के लोग सदन में बोल रहे थे और विपक्षी सांसदों ने उनकी सीटों के पास आकर उनके संबोधन बाधित करने का प्रयास किया। सभापति ने कहा कि क्या यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा वेल में प्रदर्शन गलत है और यह सदन की परंपरा के खिलाफ है क्योंकि वेल की एक पवित्रता होती है।

सुप्रीम कोर्ट के जज तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन?

राहुल को फटकार पर भड़कीं प्रियंका

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई, लेकिन साथ ही कहा कि %अगर वह सच्चे भारतीय हैं, तो उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर थी, जो उन्होंने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर दिया था।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन यह तय करना उनका काम नहीं है कि कौन सच्चा भारतीय है। विपक्ष के नेता का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और उसे चुनौती देना। उन्होंने कहा कि उनके भाई राहुल गांधी को सेना का बहुत सम्मान है और वह कभी भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। प्रियंका ने कहा, राहुल सेना का हमेशा सम्मान करते हैं। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

मोबाइल लूट : कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से चाकू मारकर मोबाइल लूटने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक आरोपी को 40 हजार रुपए एवं दूसरे को 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया गया है. मोबाइल लूट केस में पहली बार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने सुनाई.

लोक अभियोजक राहुल गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने शेख शब्बीर एवं आशीष मिश्रा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. घटना एक सितंबर 2022 की है, जब देवेंद्र साहू सुबह करीब पौने पांच बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. वे जब गोंदवारा स्थित एकता नगर के पास पहुंचे, तभी एक्टिवा सवार दोनों बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. एक आरोपी ने देवेंद्र का कॉलर पकड़ लिया, वहीं दूसरे ने जेब से चाकू निकालकर हमला कर दिया. देवेंद्र ने बचाव में चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी हथेली कट गई. इसके बाद बदमाश उनकी जेब से 13 हजार रुपए का मोबाइल लूटकर फरार हो गए. देवेंद्र ने भागते बदमाशों की गाड़ी का नंबर नोट कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

विशाल मेगा मार्ट में लिफ्ट में फंसे 8 लोग, मची अफरा-तफरी

बिलासपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित विशाल मेगा मार्ट में रविवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब शॉपिंग के बाद घर लौट रहे 8 लोग लिफ्ट में फंस गए। इनमें 4 महिलाएं और एक मासूम बच्चा भी शामिल थे। गनीमत रही कि समय पर रेस्क्यू हो गया, वरना हादसा गंभीर हो सकता था।

घटना थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की ओर आते समय हुई, जब अचानक लिफ्ट तकनीकी खराबी के चलते बीच में ही रुक गई। करीब एक घंटे तक सभी लोग लिफ्ट के अंदर फंसे रहे, जिससे अंदर घबराहट और बाहर हंगामे का माहौल बन गया। सूचना पर मॉल स्टाफ और तकनीकी टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद मॉल प्रबंधन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि न तो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम ठीक से काम कर रहा था और न ही कोई तत्काल सहायता उपलब्ध थी। गनीमत रही कि समय पर रेस्क्यू हो गया, वरना हादसा गंभीर हो सकता था।

डाकघर में आया बड़ा बदलाव! बदल गया पेमेंट लेनदेन का सिस्टम

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। अब डाकघर जाकर बैंकिंग करने के लिए न तो अंगूठे की पहचान की जरूरत होगी और न ही ओटीपी की झंझट... इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने देशभर में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सेवा की शुरुआत कर दी है, जिससे अब ग्राहक केवल अपने चेहरे से ही खाता खोल सकेंगे, बैलेंस देख पाएंगे, पैसे भेज सकेंगे और बिल का भुगतान भी कर सकेंगे।

यह सेवा उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी होगी जो अब तक अंगूठे की पहचान या ओटीपी सिस्टम से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों से जूझते थे। बुजुर्गों, दिव्यांगों, और दूरदराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह तकनीक बैंकिंग को बेहद आसान बना देगी। फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मानकों पर विकसित किया गया है। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत करने के साथ-साथ एक ऐसा सिस्टम तैयार करती है जो पूरी तरह संपर्करहित और सुरक्षित है। यह सेवा जल्द ही पूरे देश के 1.6 लाख डाकघरों और 3 लाख से अधिक पोस्टल कर्मियों के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाई जाएगी। यह कदम 'आपका बैंक, आपके द्वार' मिशन के तहत वित्तीय समावेशन को और गहरा करने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है।

हड़ताल का असर... तहसीलों, राजस्व कोर्ट में 20 हजार प्रकरण लंबित

रायपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। प्रदेश में तहसीलदारों की हड़ताल की वजह से फाइलों का अंबार लग रहा है. राज्य की सभी तहसीलों में लंबित प्रकरणों की तादाद बढ़ने लगी है. तहसीलों और सभी राजस्व न्यायालयों को मिलाकर 20 हजार से अधिक फाइलें पेंडिंग हो गई हैं. इन पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है.

इधर सभी जिलों में चालू शैक्षणिक सत्र के चलते छात्रों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. छात्रों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है. राजस्व कोर्ट में फैसले भी अटके पड़े हैं. इसके बावजूद रजिस्ट्री पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है लेकिन जमीन से जुड़े अन्य मामले ठंडे बस्ते में चले गए हैं.

तहसीलदारों की हड़ताल से रोजमर्रा के सामान्य कामकाज भी नहीं हो पा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक सभी जिलों में आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए छात्रों के सबसे ज्यादा आवेदन लंबित पड़े हैं. कई मामलों में छात्रों को समय सीमा में जमा करना अनिवार्य है लेकिन हड़ताल के चलते तहसीलदारों के दस्तखत नहीं हो पा रहे हैं. यही स्थिति मूल निवास प्रमाण पत्र के आवेदनों को लेकर है. स्कूली छात्रों को गुहार लगाते भटकना पड़ रहा है. नक्शा नकल से लेकर शोध क्षमता प्रमाण पत्र के कार्य भी अटक गए हैं. इनमें से ज्यादातर कार्य तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की निगरानी, अनुमोदन और आदेश से ही संपादित होते हैं. इसी तरह धारा 115 के तहत त्रुटि सुधार जैसे कार्यों पर असर पड़ा है. इसके अलावा बैंकों की वसूली भी प्रभावित हुई है. फौती नामांतरण से लेकर सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों पर भी फैसला नहीं हो पा रहा है. सभी स्तरों के प्रकरणों को मिलाकर लंबित फाइलों की तादाद ही 20 हजार पार कर गई है. यह संख्या रोजाना लगातार बढ़ रही है.